सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित


8 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 335 राँची, मंगलवार, 29 जून, 2021 (ई०)


### विधि (विधान) विभाग

---------

**अधिसूचना**

**29 जून, 2021**

**संख्या-एल०जी०-09/2018-29/लेज०**--झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**21/06/2021** को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संसोधन) अधिनियम, 2021**

**(झारखण्ड अधिनियम संख्या- 03, 2021)**

**झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम,** 2001 **में संशोधन हेतु अधिनियम ।**

भारत गणराज्य के बहतरवे (72वें) वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -**

(1) यह अधिनियम झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-5(1) की अनुसूची- I भाग-'ग' के क्रमांक-3 (क) में अंकित शब्द समूह जी.एस.टी. रहित क्रयमूल्य तथा क्रम संख्या 5 एवं 6 में अंकित शब्द समूह "जी.एस.टी. रहित क्रयमूल्य" के स्थान पर शब्द समूह "Ex-Showroom Price" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उप धारा (1) अनुसूची-I भाग-'क' के खण्ड-'अ' के कालम-4, 5 एवं 6 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

| खण्ड | क्रमांक | निबंधन का स्टेज | वाहनों का वर्ग | |
|---|---|---|---|---|
| | | | दो पहिया मोटरवाहन | व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन (2 से 12 बैठान क्षमता तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अ | | निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र | (i) एक लाख रूपये तक के Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 7% की दर से।<br>(ii) एक लाख रूपये से उपर तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। | (i) सात लाख रूपये तक के Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 7% की दर से।<br>(ii) सात लाख रूपये से उपर तक Ex-Showroom Price के चार पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से। |

4. **झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा -**

"ट्रैक्टर के Ex-Showroom Price का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त पथकर 15 वर्षों के लिए देय होगा।

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से 5,000/- (पाँच हजार) रूपये एकमुश्त पथकर 15 वर्षों के लिये देय होगा ।

परन्तु यह और कि पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एकमुश्त पथकर पूर्व में भुगतान किये गये कर का सामंजन करते हुए उदग्रहित किया जाएगा ।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**संजय प्रसाद,**
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

# विधि (विधान) विभाग

--------

अधिसूचना

29 जून, 2021

**संख्या-एल0जी0-09/2018-30/लेज0--**झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-**21/06/2021** को अनुमत **झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संसोधन) अधिनियम, 2021** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है,जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

**Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) Act, 2021**
(**Jharkhand Act-03, 2021**)

**An Act to amend Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001**

Be it enacted in the Seventy Second years of Republic of India by the Legislature of the State of Jharkhand as follows :-

**1. Short little, extent and commencement**:-

(1) This Act shall be called Jharkhand Motor vehicle Taxation (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall extend to the whole of the state of Jharkhand.

(3) It shall come into force with immediate effect.

**2. The words "Excluding GST" written in serial no. 3 (a), serial no. 5 & 6 in Part-C of scheduled-I in sub-section (1) of Section-5 of Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001 shall be substituted by the words "Ex-showroom price."**

**3. Column 4, 5 & 6 of Section-A of Part-A of Scheduled-I made under sub-section (1) Section-7 of Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001 shall be substituted by the following :-**

| Clause | Sl. No. | Stages of Registration | Class of Motor Vehicles | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Two Wheeler motor vehicle | Personalized four wheeler motor vehicle (2 to 12 seating capacity) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | | Up to one year of age at the time of Registration or first Registration. | (i) One-time tax @ 7% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to rupees one lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor vehicle.<br>(ii) One-time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above rupees one lac Ex-showroom price of the two wheeler Motor Vehicle. | (i) One-time tax @ 7% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for up to rupees seven lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor vehicle.<br>(ii) One-time tax @ 9% of the Ex-showroom price shall be levied at the time of registration for above rupees seven lac Ex-showroom price of the four wheeler Motor Vehicle. |

**4.** Sub-Section (7) of in section-7 of the Jharkhand Motor Vehicle Taxation Act, 2001 shall be substituted as follows :-

"One-time tax at the rate of 4% of cost price of Tractor Ex-showroom price shall be levied for 15 years.

Provided one-time tax at the time of registration of trailer of a tractor shall be liable to pay Rs. 5000 (Five Thousand Rupees) for 15 years.

Provided further that one-time tax shall be levied on already registered tractor and its trailer by adjusting the previously paid tax."

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**संजय प्रसाद,**
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

--------

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 335 -- 50